

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 218/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

महेन्द्रसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी 6 के.के.एम. न्योलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. जंगीरकौर पत्नि दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी 6 के.के.एम. न्योलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
2. लालसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी 6 के.के.एम. न्योलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
3. प्रविन्द्रकौर पुत्री दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी 6 के.के.एम. न्योलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
4. कुलविन्दरकौर पुत्री दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी 6 के.के.एम. न्योलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व)पल्लू जिला हनुमानगढ़, राज0।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री विनोदकुमार स्वामी वकील-वादी

श्री विनोदकुमार राहड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5

निर्णय दिनांक- 30.3.2026

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 6 के.के.एम. के खाता संख्या 24/20 के पत्थर नम्बर 219/57(5) किला नम्बर 23, 24, 25 व पत्थर नम्बर 219/58(16) किला नम्बर 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3/3, 3/4, 8/1, 9, 10/2, 21/1, 22 ता 25 व पत्थर नम्बर 219/59(33) किला नम्बर 1/2, 2 ता 5 व पत्थर नम्बर 239/2(15) किला नम्बर 21 इस प्रकार कुल 4.6760 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला व चक नम्बर 7 के.के.एम.ए. के खातासंख्या 40/29 के पत्थर नम्बर 239/3(17) किला नम्बर 1 की 0.2530 हैक्टेयर अनकमाण्ड कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.3.2026
.....को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

